नालंदा जिला में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के दौरान श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–29.12.2017 को अन्तर्राष्ट्रीय कॅन्वेंशन सेंटर, राजगीर, नालन्दा में नालंदा के जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

- सर्वप्रथम जिलाधिकारी, नालंदा द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय मंत्रीगण/माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा/मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक/विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/राज्यस्तरीय पदाधिकारीगण/ जिलास्तरीय पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया।
- मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बताया गया कि मुख्य रूप से सात निश्चय, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, धान अधिप्राप्ति तथा इसके उपरान्त जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र से संबंधित समस्या/सुझाव प्राप्त किए जायेंगे। तद्नुसार बिन्दुवार समीक्षा प्रारंभ की गईः–
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत लोक शिकायत निवारण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था की भी शुभारंभ किया गया। साथ ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा लोक शिकायत निवारण कानून के प्रभावकारिता पर आधारित पुस्तिका "समाधान" का भी विमोचन किया गया।
- **<u>मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम</u>**

✓ **आर्थिक हल, युवाओं को बल**

जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट केडिट कार्ड योजना में निबंधित आवेदनों की संख्या कुल 1007 है, जिसमें स्वीकृत 991 एवं अस्वीकृत 16 है। बैंकों को ऋण हेतु कुल 879 आवेदन भेजा गया है, जिसमें से 751 आवेदन को उनके द्वारा स्वीकृत किया गया है। कुल स्वीकृत राशि 2234.39 लाख है, जिसमें से बैंक द्वारा कुल 478 छात्रों को ऋण वितरित किया गया है। आवेदनों की संख्या कम होने के संबंध में जिला पदाधिकारी, नालन्दा से पृच्छा की गयी। पृच्छोपरान्त उनके द्वारा बताया गया कि सत्र प्रारंभ होने के उपरान्त आवेदनों की संख्या जनवरी, 18 में बढ़ जायेंगे। प्राप्त आवेदनों में 70 प्रतिशत पंचायत कैम्प के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

✓ **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना**

जिला पदाधिकारी, नालंदा ने बताया कि कुल आवेदनों की संख्या 9816 है, जिसमें स्वीकृत आवेदन 5476 तथा अस्वीकृत आवेदन 4340 है। स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त कर रहे कुल युवाओं की संख्या 4803 है।

✓ कुशल युवा कार्यक्रम

जिला पदाधिकारी, नालंदा ने बताया कि कुल आवेदनों की संख्या 9582 है, जिसमें स्वीकृत आवेदन 9549 तथा अस्वीकृत आवेदन 33 है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की कुल संख्या 2939 है, जिसके विरूद्व प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए युवाओं की कुल संख्या 5647 है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में 40 प्रतिशत लड़कियों की संख्या है।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि स्टूडेंट केडिट कार्ड योजना का लाभ छात्रों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यह भी पाया गया कि बैंकों द्वारा छात्रों को ऋण देने में भी परेशानी की जाती है, जिसके कारण छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट केडिट कार्ड योजना का लाभ सही तरीके से मिले। इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि छात्रों को स्टूडेंट केडिट कार्ड की सुविधा मिलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था बनायी जाय। यह भी बताया गया कि सरकार के लाख प्रयास के बाद भी बैंक अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहा है।

प्रधान सचिव, शिक्षा को निदेश दिया गया कि अगले वित्तीय वर्ष से वित्तीय कॉरपोरेशन खोला जाय, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम से अधिक–से–अधिक लोगों को लाभ पहुँचाया जाय।

माननीय मुख्यमंत्री ने नालन्दा जिला में ''सरकारी महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा'' की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 09 महाविद्यालय जिसमें कुल नामांकित छात्र 22693 है, में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा संचालित की गयी है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि महाविद्यालयों में विद्युत आपूर्ति की समस्या बराबर होती रहती है, जिसके कारण वाई–फाई की सुविधा में बाधा उत्पन्न होती है। माननीय मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के प्रधान सचिव को निदेश दिया कि विद्युत के कारण छात्रों को वाई–फाई की सुविधा मिलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाय।

✓ घर तक पक्की गली नालियॉं

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा की गयी घर तक पक्की गली नालियॉं का निर्माण जिले में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या 3391 है, जिसमें 2017–18 तक आच्छादन हेतु लक्षित वार्डों की संख्या 1695 है। 1695 वार्डों में कियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। 1695 वार्डों में बैंक खाता खोला जा चुका है, जिसमें से 1360 वार्डों में राशि बैंक खाता में हस्तान्तरित की जा चुकी है। 1360 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके विरूद्व 680 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

✓ **हर घर नल का जल**

जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि जिला में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या 3391 है। 2017–18 तक आच्छादन हेतु चयनित वार्डों की कुल संख्या 1695 है, जिसमें 932 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 440 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल आच्छादित घरों की संख्या 107728 है। प्राप्त 166 करोड़ में 130 करोड़ रूपये खर्च की जा चुकी है। शेष राशि प्राप्त होते हीं कार्य किया जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा का निर्माण किया जा रहा है। जिले में कुल शहरी वार्डों की संख्या 124 है, जिसमें 2017–18 तक आच्छादन हेतु लक्षित वार्डों की संख्या 124 है, सभी वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। कुल प्रारंभ की गयी योजनाओं की संख्या 335 है, जिसके विरूद्व 319 योजना पूर्ण हो चुकी है।

जिला पदाधिकारी, नालंदा ने बताया कि जिले में कुल शहरी वार्डों की संख्या 124 है, जिसमें 2017–18 तक आच्छादन हेतु चयनित वार्डों की संख्या 72 है, जिसमें 39 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 06 वार्ड में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल आच्छादित घरों की संख्या 30311 है। बिहार विकास मिशन के मिशन निदेशक द्वारा यह बताया गया कि जिस गति से राशि नगर निकायों को दी जा रही है, उससे 2019 तक सभी योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा। प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही गुणवत्ता प्रभावित आच्छादन हेतु कुल लक्षित वार्ड 215 है। दिनांक 31.03.2017 तक कुल 02 वार्ड पूर्ण हो चुका है। 2017–18 में 67 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 19 वार्ड पूर्ण है। इस तरह अब तक कुल 21 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें कुल आच्छादित घरों की संख्या 2596 है। गैर–गुणवत्ता प्रभावित आच्छादन हेतु कुल लक्षित वार्ड 1481 है। दिनांक 31.03.2017 तक कुल 73 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2017–18 में 417 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके विरूद्व 63 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस तरह अब तक कुल 136 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया है। कुल आच्छादित घरों की संख्या 15176 है।

सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल, पक्की नली गली आदि से संबंधित योजनाओं के नालन्दा जिला में कियान्वयन पर मुख्य सचिव द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

✓ **ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना**

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि कुल लक्ष्य बसावटों की संख्या 36 है तथा पथ की कुल लंबाई (कि.मी.) 28.97 है। 08 बसावटों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके विरूद्व कुल 01 बसावट पूर्ण हो चुका है। पथ की कुल लंबाई (कि.मी.) 28.97 के विरूद्व 5.39 (कि.मी.) में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 0.95 कि.मी. में कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य सचिव द्वारा कुल कितने बसाबट

सम्पर्क हेतु छुट जाने संबंधी पूछे जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 36 टोले वर्तमान में सम्पर्क हेतु शेष बचे हुए है। इसे पूरा कराने का निदेश दिया गया।

✓ **शौचालय निर्माण, घर का सम्मान**

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि नालन्दा जिले के शहरी क्षेत्र में कुल घरों की संख्या 71349 है तथा ग्रामीण क्षेत्र में 544668 है। शहरी क्षेत्रों में 52516 घरों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलबध है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 109149 घरों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2017–18 में शहरी क्षेत्रों में घरों के आच्छादन का लक्ष्य 3865 है, जिसके विरूद्व 1361 उपलब्धि की गयी है। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 228055 घरों के आच्छादन का लक्ष्य है, जिसके विरूद्व 147604 उपलब्धि की गयी है।

यह भी बताया गया कि जिले में खुले में शौच से मुक्त (ODF) कुल 249 पंचायतों में से 62 पंचायतों में ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है। शेष 110 पंचायतों में कार्य किया जा रहा है, जिसे 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। यह भी बताया गया कि नालन्दा जिला में कुल 20 प्रखंड है, जिसमें एक प्रखंड राजगीर ओ0डी0एफ0 हो चुका है। अगस्त, 2018 तक पूर्ण जिला को ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा सकेगा।

✓ **अवसर बढ़े, आगे पढ़ें**

कौशल विकास के तहत किसी भी संस्थान के लिए जमीन की समस्या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज, पावापुरी के संबंध में पृच्छा की। पृच्छोपरान्त प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि वहॉ इमरजेंसी सेवा अभी बहाल नहीं किया गया है, जो भी कमियॉ है, उसे यथाशीघ्र दूर कर जल्द ही बहाल कर दिया जायेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि वहॉ नर्सिंग ए.एन.एम, बेड एवं बॉयज हॉस्टल की कमी है, जिसें चार–पॉच महीने में सभी कमियों को दूर कर मेडिकल कॉलेज को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि उक्त कॉलेज में जो भी कमियॉ है, उसे शीघ्र निष्पादित करें। माननीय मुख्यमंत्री ने डेंटल कॉलेज, रहुई के बारे में पृच्छा की। पृच्छोपरान्त प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इसकी निविदा 10 जनवरी, 2018 को खुलने वाली है, उसके बाद कार्यादेश करा दिया जायेगा।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि नर्सिंग कॉलेज के स्थापना हेतु पावापुरी मेडिकल कॉलेज परिसर में जमीन उपलब्ध करायी गयी है। निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रकिया में है। मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि नर्सिंग कॉलेज का संचालन तत्काल मेडिकल कॉलेज, पावापुरी के किसी भवन में प्रारंभ कराया जाय।

✓ **लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम**

इसके तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्राप्त कुल परिवाद की संख्या 3147 है, जिसमें 2870 परिवाद को निष्पादित किया जा चुका है। 277 ऐसे लंबित मामले है, जो 60

कार्य दिवस से कम है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पद्राधिकारी, बिहारशरीफ को प्राप्त कुल परिवाद की संख्या 2571 है, जिसमें 2410 परिवाद को निष्पादित किया जा चुका है। 161 ऐसे लंबित मामले है, जो 60 कार्य दिवस से कम है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, राजगीर को प्राप्त कुल परिवाद की संख्या 1124 है, जिसमें 1020 परिवाद को निष्पादित किया जा चुका है। 104 ऐसे लंबित मामले है, जो 60 कार्य दिवस से कम है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हिलसा को प्राप्त कुल परिवाद की संख्या 1950 है, जिसमें 1655 परिवाद को निष्पादित किया जा चुका है। 295 ऐसे लंबित मामले है, जो 60 कार्य दिवस से कम है।

इसके तहत अपील से संबंधित मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व प्रथम अपील दायर 537 है, जिसमें से 470 का निष्पादन किया जा चुका है। द्वितीय अपील दायर 168 है, जिसमें से 140 का निष्पादन किया जा चुका है। दंड अधिरोपित मामलों की संख्या कुल 06 है। अधिरोपित दंड की राशि 30000 है तथा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसित मामलों की कुल संख्या 02 है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरूद्व प्रथम अपील दायर 295 है, जिसमें से 288 का निष्पादन किया जा चुका है। द्वितीय अपील दायर 70 है, जिसमें से 63 का निष्पादन किया जा चुका है। अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसित मामलों की कुल संख्या 02 है। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि आदेश पारित होने पर उसका अनुपालन कराया जाय। जब तक अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक उस मामले को निष्पादन नहीं माना जाय।

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के कियान्वयन में नालन्दा जिला में कियान्वयन बेहतरीन तरीके से हो रहा है तथा काफी संख्या में जिला के लोग इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यह भी बताया कि बिहार राज्य के अन्य जिला में इस अधिनियम के तहत मामले को सुनवाई में तीन से चार दिन लग जाते हैं, किन्तु नालन्दा जिला में मामले की सुनवाई दो दिनों में ही होने लगी है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि राज्य में कुल 87 प्रतिशत मामले निष्पादित है, किन्तु नालन्दा जिला में 98 प्रतिशत मामलों का निष्पादन करा लिया गया है।

समीक्षोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के कियान्वयन के साथ–साथ मामले का निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाए तभी इस अधिनियम का वास्तविक लक्ष्य पूरा होगा। यह भी बताया गया कि इस अधिनियम को सही तरीके से लागू करें, ताकि लोगों को हक मिले। वैसे लोग जो पीड़ित है या फिर दबे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा है, वे इस अधिनियम के माध्यम से अपना अधिकार पा सकते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने बताया कि नालन्दा जिले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा का पद खाली है, जिसके कारण कार्य निष्पादन में काफी कठिनाई का सामना

करना पड़ता है। जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने नालन्दा जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा के पदस्थापन हेतु माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का पद रिक्त होना उचित नहीं है। शीघ्र पदस्थापन की कार्रवाई की जाय।

माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित जिले के माननीय विधायक व स्थानीय जन प्रतिनिधियों से अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं को बारी–बारी से रखने का अनुरोध किया।

- **श्री हरिनारायण सिंह, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, हरनौत**

✓ बुनियादी विद्यालय भवन बनकर तैयार है, किन्तु विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है। विद्यालय संचालित कराया जाय।

✓ पथों का निर्माण कार्य कराया जाता है, परन्तु उसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पॉच वर्षों तक संवेदक को पथ का रख–रखाव करना है, किन्तु ऐसा नहीं किया जाता है। इसे कराया जाय।

✓ एन.एच.–30 ए हरनौत बाजार से मिरची ग्राम के धोबन नदी पर 09 कि.मी. तक उपरोक्त दोनों पथों को आर.डब्ल्यू.डी. से प्रस्तावित कराया जाय।

✓ हरनौत विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुनाई नदी की सफाई नहीं होने के कारण उसमें गाद भर गया है, जिसके कारण सिंचाई व पटवन में काफी परेशानी होती है, उसकी सफाई करायी जाय।

✓ हरनौत विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत छोटे–छोटे पुल–पुलिया का निर्माण व पुल–पुलिया की मरम्मत कराने का अनुरोध किया गया तथा यह भी अनुरोध किया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना के माध्यम से पन्द्रह लाख तक निर्माण की व्यवस्था करायी जाय। साथ ही माननीय विधायक द्वारा लिखित रूप में अपना सुझाव बैठक में समर्पित किया गया।

- **श्री श्रवण कुमार, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, नालंदा**

✓ प्रधान मंत्री सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत पथ जिसका कार्य एन.पी.सी.सी. एजेंसी कर ही है। यथा–राजगीर–छबीलापुर पथ से बड़हरी–तिलैया, दुहई सुई होते सिलाव–गोरौर रोड के कहटा गांव तक पथ अपूर्ण है, इसे पूरा किया जाय।

✓ राजगीर–छबीलापुर पथ से मेयारगढ तक कार्य भी एन.पी.सी.सी. एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है जो अभी बंद है सिर्फ मिट्टी कार्य किया गया है, इसे पूरा कराया जाय।

✓ बेन प्रखंड के अंतर्गत कोदवा सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान की जाय। इसका डी.पी.आर. तैयार कर विभाग को समर्पित किया जा चुका है।

✓ चंडी–छबीलापुर पथ का चौड़ीकरण कराया जाय।

✓ इस्लामपुर प्रखंड के खोदागंज पक्की पथ से भई पीपर तर प्रखंड राजगीर तक के पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कराया जाय।

✓ सिलाव गोंरौर पथ जिसकी लम्बाई 12 कि0मी0 तथा अत्यंत जर्जर है, इसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कराते हुए इसका निर्माण कराया जाय।

- **श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, अस्थावॉ**

✓ धान अधिप्राप्ति में 28,26,00000 (अट्ठाइस करोड़ छब्बीस लाख) रू0 की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय। उन्होंने बताया कि जिले में 249 पैक्स हैं, जिसमें से डिफॉल्टर 126 है। चावल खराब होने के कारण पैक्स को कठिनाई हो रही है। यह भी बताया कि बिहार खाद्य निगम के गोदामों में चावल रखा गया है, जो खराब हो रहा है। छिड़काव की व्यवस्था भी नहीं की जाती है।

✓ अस्थावॉ विधानसभा अंतर्गत मैरा छिलका 10 वर्षों से ध्वस्त है। निर्माण कराने का अनुरोध किया गया।

✓ बिन्द प्रखंड के उतरथु– विशुनपुर छिलका ध्वस्त है, जिसके कारण इस क्षेत्र को पटवन में काफी परेशानी हो रही है। छिलका निर्माण कराने का अनुरोध किया गया।

✓ ग्राम नोआमा में कुम्भरी नदी पर छिलका निर्माण कराने का अनुरोध किया गया।

✓ आदर्श विद्यालय भवन बनकर तैयार है, किन्तु उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है।

✓ बिन्द में उच्च विद्यालय का भवन काफी जर्जर है, परन्तु आदर्श विद्यालय का भवन तैयार है। आदर्श विद्यालय भवन में पठन–पाठन संचालित कराया जाय।

✓ अस्थावॉ–महम्मदपुर उच्च विद्यालय +2 कर दिया गया है, किन्तु उक्त विद्यालय का भवन अधूरा है। इसे पूरा कराया जाय।

✓ वर्ष 2003–04 में बी0आर0सी0सी0 भवन बनाने की बात कही गयी थी, किन्तु बी0आर0सी0सी0 भवन आज तक नहीं बना है। बनवाया जाय।

✓ रहुई उच्च विद्यालय जीर्णशीर्ण है, उसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। इसे कराया जाय।

✓ कतरीसराय प्रखंड के पलटपुर ग्राम को सड़क से जोड़ा नहीं गया है। इसे कराया जाय।

✓ अस्थावॉ के पुल से बिन्द–सरमेरा, गोपालबाद वरबीघा कोतरा सड़क जर्जर स्थिति में है, इसकी मरम्मत करायी जाय।

✓ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 से बाकी है।

✓ वित्तीय वर्ष 2011–12, 12–13, 13–14 एवं 15–16 का इंदिरा आवास की राशि लंबित है।

✓ रोगी कल्याण समिति की बैठक कभी नहीं की जाती है, जिसके कारण समय पर मरीजों को नाश्ता–खाना व अन्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती है।

- **श्री चन्द्रसेन प्रसाद, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, इसलामपुर**

✓ एकगंरसराय बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय।

✓ एकगंरसराय में रेफरल अस्पताल की स्थापना करायी जाय।

✓ एकंगरसराय में राजगीर के तौर पर एक सभा हॉल का निर्माण कराया जाय।

✓ इसलामपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया।

✓ इसलामपुर प्रखंड में मगही पान उपजता है। यहॉ के पान के पत्ते बनारस में बिकने के लिए जाते थे, का पिछले कुछ दिनों से बिकी बंद है। इसके लिए बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। साथ ही, यहॉ पान विक्रय केन्द्र स्थापित कराया जाय।

✓ इसलामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत औंगारी धाम को सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी, नालन्दा के माध्यम से भेजा गया है, किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसे कराया जाय।इसलामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एकंगरसराय के दोनों तरफ एवं इस्लामपुर के पश्चिम तरफ बायपास सड़क का निर्माण कराया जाय।

✓ फल्गु नदी में पूरब तरफ मिट्टी का जमाव हो जाने के कारण लिबरी प्रोजेक्ट बंद हो गया है। बीएन लिबरी परियोजना के तहत बाइसी–तेहसी नदी को पक्कीकरण कर जोड़ने की व्यवस्था करायी जाय।

✓ मुहाने नदी का मुँह खोल कर जलस्राव प्रारंभ कराया जाय।

✓ इसलामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत औंगारी, तेलहाड़ा, बेश्वक, आत्मा, धुरगॉव, बड़ीमठ को पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसे पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

✓ इसलामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री चापाकल योजना जो कि दिसम्बर, 2017 तक की अवधि समाप्त हो रही है, इसका मार्च 2018 तक की अवधि विस्तार कराया जाय।

- **श्री रवि ज्योति कुमार, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, राजगीर**

✓ नालंदा जिला के बिहार प्रखंड में 20 पंचायतें हैं एवं राजगीर विधान सभा के अंतर्गत 14 पंचायतें हैं एवं सुदूर गांवों से प्रखंड मुख्यालय की दूरी 30–35 कि0मी0 है एवं आने–जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। अतः इस क्षेत्र के विकास हेतु एक नया प्रखंड का सृजन किया जाय।

✓ महलपर से लेकर दरियापुर तक 28 कि.मी. सड़क है, उसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित कर उसका निर्माण कराया जाय।

✓ दिल्ली हाट की तरह राजगीर में भी क्राफ्ट बाजार बनाया जाय।

- **श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव, माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, हिलसा**

✓ अनुमंडल मुख्यालय बहुत पुराना है। नया अनुमंडल भवन बनाने का अनुरोध किया गया।

✓ यह भी बताया गया कि वार्ड सदस्य का मृत्यु हो गया है, परन्तु उसके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि काफी दिनों बाद मिली है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि चार–पॉच दिनों में मिल जाना चाहिए।

✓ यह भी बताया कि अंचल अधिकारी, हिलसा को जबरन निगरानी टीम द्वारा गलत तरीके से पकड़ कर ले जाया गया है, जिसे देखने का अनुरोध किया गया है।

- **श्री हीरा प्रसाद बिन्द, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्**

✓ विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिल 9–10 महीने में दिया जाता है, ऐसे में उपभोक्ता बिजली बिल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कभी–कभी तो बिजली बिल ज्यादा दिया जाता है, जिसे सुधार की आवश्यकता है।

✓ हिलसा अंतर्गत इंदौत पंचायत में एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है। वहाँ माध्यमिक विद्यालय खोला जाय।

- **श्रीमती रीना कुमारी, माननीया विधान पार्षद**

✓ पंचायत समिति सदस्य की मृत्यु होने के बाद उसे पाँच लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है, किन्तु उसके परिवार को सहायता राशि देने में एक वर्ष का समय लग जाता है। पदाधिकारी सबूत मांगते हैं। अनुरोध है कि सहायता राशि अविलम्ब दिलाया जाय।

✓ वार्ड सदस्य, पंचायतें समिति सदस्य का मानदेय बहुत कम है। मानदेय बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

- **श्रीमती तनुजा कुमारी, अध्यक्षा, जिला परिषद्**

✓ पंचम वित्त आयोग की राशि प्राप्त हुई है। बड़ी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। छोटी–छोटी योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की बात कही जाती है।

✓ जिला परिषद की आय में वृद्धि हेतु कोई रचनात्मक कार्य यथा–सब्जी बाजार, बस पड़ाव तथा दुकान जिला परिषद की परती जमीनों पर कराया जाय।

✓ जिला परिषद् में कोई सुविधा नहीं दी गयी है। जिला परिषद अध्यक्ष के प्रयोग हेतु लैपटॉपख मोबाईल, स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराया जाय।

✓ जिला परिषद अध्यक्ष आवास जिला में नहीं है। इसे बनवाया जाय।

✓ जिला परिषद के द्वारा लिए गए मनरेगा की योजना की कार्यान्वयन जिला परिषद के द्वारा कराया जाय।

✓ जिला परिषद का कार्यालय भवन, निरीक्षण गृह एवं जिला में सभी डाक बंगला जर्जर अवस्था में हैं इन्हें बनवाया जाय। साथ ही जिला परिषद की जमीन की घेराबंदी की जाय।

✓ जिला परिषद के लिए कनीय अभियंता की नियुक्ति की जाय तथा नियुक्ति की शक्ति जिला परिषद को दिया जाय।

✓ जिला परिषद को अपना मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिया जाय एवं उन्हें कार्य करने की पूर्ण शक्ति दी जाय।

✓ स्वास्थ्य मिशन अभियान, दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान में जिला परिषद को भी भागीदारी दी जाय।

✓ उनके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान शिक्षक विद्यालय समय से नहीं आते है। इस पर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

निदेश दिया गया कि शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए प्रखंड शिक्षक के लिए प्रमुख, पंचायत शिक्षक के लिए मुखिया एवं माध्यमिक शिक्षक के लिए भी नियुक्ति पदाधिकारी हैं। नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

- **श्रीमती वीणा कुमारी, महापौर, नगर निगम, बिहारशरीफ**

✓ अपर नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक का पद रिक्त है। अपर नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक का पदस्थापन कराया जाय।

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा बायपास का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने बताया कि नालन्दा जिले के 17 पथ की योजना है, जो एन.पी.सी.सी. नहीं बना पा रहा है। इस संबंध में पथ निर्माण कराने की कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि हरनौत, बिहारशरीफ, गिरियक में एनएच–31 पर बायपास का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा कर कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य सड़कों के लिए श्रेणी बनाकर सड़को के रख–रखाव करने की कार्रवाई की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि सभी प्रकार के सड़कों का रख–रखाव करना है। इसके लिए अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान किया जाय।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु अवधि विस्तार 31 मार्च, 2018 तक करने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया कि आदर्श विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नवनिर्मित भवनों में पठन–पाठन कार्य संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा भी बताया गया कि उच्च विद्यालय बिन्द के भवन की स्थिति काफी जर्जर है। उक्त विद्यालय का पठन–पाठन नवनिर्मित आदर्श विद्यालय भवन में संचालन किया जा रहा है।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार ने बताया कि रहुई में डेंटल कॉलेज फरवरी, 2018 तक प्रारंभ कर दिया जायेगा। हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल का विस्तार की कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह योजना में राशि विमुक्त किया जा रहा है। शीघ्र लाभुकों को राशि भुगतान कर दिया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि इस मामले की समीक्षा कर अवगत कराया जाय।

प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि बिजली विपत्र सुधार के लिए किसी व्यक्ति विशेष का मामला बताया जाय, तो उसका शीघ्र समाधान कर दिया जायेगा। विद्युत विपत्र के संबंध में विस्तृत रूप से उनके द्वारा जानकारी दी गयी और बताया गया कि स्थल पर ही विद्युत विपत्र तैयार कर विद्युत उपभोक्ताओं को दे दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था कर दी गयी है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

14/3/18

प्रधान सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालया विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-10/2018 ...174...../दिनांक-27/3/2018

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना / नालंदा जिला के प्रभारी सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / पुलिस महानिरीक्षक, पटना / पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना / जिला पदाधिकारी, नालंदा / पुलिस अधीक्षक, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.3.18

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-10/2018 ...174...../दिनांक-27/3/2018

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.3.18

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-10/2018 ...174...../दिनांक-27/3/2018

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.3.18

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/सी0 एस0/एम0–10/2018 ...174...../दिनांक–...22/3/2018

प्रतिलिपि–सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला के निवासी सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/सी0 एस0/एम0–10/2018 ...174...../दिनांक–...22/3/2018

प्रतिलिपि–मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/सी0 एस0/एम0–10/2018 ...174...../दिनांक–...22/3/2018

प्रतिलिपि–मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव (श्री अतीश चन्द्रा एवं श्री मनीष कुमार वर्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/सी0 एस0/एम0–10/2018 ...174...../दिनांक–...22/3/2018

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मिथिलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव